

विकास आयुक्त, सीपज़-सेज़ की अध्यक्षता में दिनांक 29.05.2025 को कॉन्फ्रेंस हॉल, द्वितीय तल, सीपज़ सेवा केंद्र, सीपज़-सेज़, मुंबई-400096 में मेसर्स रोमा बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड-सेज़, हीरानंदानी एस्टेट, ऑफ़ घोडबंदर रोड, ग्राम कावेसर, ठाणे के सेक्टर विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र के लिए आयोजित अनुमोदन समिति की 18वीं बैठक का कार्यवृत्त।

Minutes of 18th Meeting of the Approval Committee for Sect or Specific Special Economic Zone of **M/s. Roma Builders Pvt. Ltd-SEZ**, at Hiranandani Estate, Off. Ghodbundar Road, Village Kavesar, Thane, under the Chairmanship of Development Commissioner, SEEPZ-SEZ held on **29.05.2025**, at Conference Hall, 2nd Floor, SEEPZ Service Centre, SEEPZ-SEZ, Mumbai-400096.

| | |
|-----------------|------------|
| Name of the SEZ | ROMA |
| Meeting No. | 18th |
| Date | 29-05-2025 |

Members Present:

| क्र. Sr. No. | सदस्यों का नाम Name of Members | पद का नाम Designation | संगठन Organization |
|--------------------|--|---|---|
| 1 | श्रीमती मितल एस. हिरेमठ Smt. Mital S. hiremath | संयुक्त विकास आयुक्त, Jt. Development Commissioner | सीपज़-सेज़ SEEPZ-SEZ |
| 2 | श्री सुनील अघवाने Shri. Sunil Aghawane | संयुक्त आयुक्त आयकर Joint Commissioner Income Tax | आयकर आयुक्त कार्यालय, मुंबई के नामिती / Nominee of Commissioner of Income Tax office, Mumbai |
| 3 | श्री. बैकियावेलु मुथारुसु Shri. Backiyavelu Mutharusu | उप निदेशक डीजीएफटी Deputy Director DGFT | अतिरिक्त डीजीएफटी, मुंबई के नामित / Nominee of the Additional DGFT, Mumbai |
| 4 | श्रीमती मीरा रामकृष्णन Smt. Meera Ramkrishnan | सहायक आयुक्त, सीमा शुल्क / Asstt. Commissioner of Customs | सीमा शुल्क आयुक्त, जनरल, एयर कार्गो, सहार के नामिती / Nominee of Commissioner of Customs, General, Air Cargo, Sahar |
| 5 | श्रीमती पूनम दराडे Smt. Poonam Darade | उप निदेशक उद्योग Deputy Director Industries | डीसी इंडस्ट्रीज, महाराष्ट्र सरकार के नामिती। Nominee of DC Industries, Government of Maharashtra. |
| 6 | श्रीमती स्मिथा नांबियार Smt. Smitha Nambiar | उप विकास आयुक्त Deputy Development Commissioner / विनिर्दिष्ट अधिकारी Specified Officer | सीपज़-सेज़ SEEPZ –SEZ / रोमा-सेज़ Roma –SEZ |
| 7 | श्री बालासाहेब बोराडे Shri Balasaheb Borade | विनिर्दिष्ट अधिकारी Specified Officer | सीपज़-सेज़ SEEPZ –SEZ |

श्रीमती ब्रिजित जो, वि.आ.का.स. (न्यू सेज़), श्री हनीश राठी, एडीसी (न्यू सेज़), श्री जय दीप, एडीसी (न्यू सेज़), श्री पलाश शंकर, एडीसी (न्यू सेज़) और श्री विवेक जरवाल, एडीसी (न्यू एसईजेड) बैठक में सहायता और सुचारु संचालन के लिए शामिल हुए।

Smt. Bridget Joe, EA to DC (New SEZ), Shri. Hanish Rathi, ADC (New SEZ), Shri Jai Deep, ADC (New SEZ), Shri. Palash Shankar, ADC (New SEZ) and Shri. Vivek Zarwal, ADC (New SEZ) also attended for assistance and smooth functioning of the meeting.

कार्यसूची मद संख्या 01 : दिनांक 24.03.2025 को आयोजित 17वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि।

Agenda Item No. 01: Confirmation of Minutes of the 17th meeting held on 24.03.2025.

दिनांक 24.03.2025 को आयोजित 17वीं बैठक के कार्यवृत्त की सर्वसम्मति से पुष्टि की गई।

कार्यसूची मद संख्या 02 :

मेसर्स टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड का आवेदन, ओलंपस बी, रोमा बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड -एसईजेड, ऑफ, घोडबंदर रोड, गांव कावेंसर, ठाणे, महाराष्ट्र- 400 607, प्रथम और द्वितीय तल पर कैफेटेरिया स्थापित करने की अनुमति के लिए।

(मूल एलओए संख्या SEEPZ-SEZ/NEW-SEZ/ROMA-TCS/01/2019-20/04378, दिनांक: 02.03.2020)

इकाई ने ओलंपस बी, रोमा बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड-एसईजेड, घोडबंदर रोड, गांव कावेंसर, ठाणे, महाराष्ट्र- 400 607 में पहली और दूसरी मंजिल पर कैफेटेरिया स्थापित करने की अनुमति के लिए दिनांक 26.07.2022 और 16.01.2023 को आवेदन प्रस्तुत किया था।

अनुमोदन समिति की बैठक 28 अप्रैल 2023 को हुई। समिति ने एसईजेड नियमों के नियम 11(5) के प्रावधान के अनुसार टीसीएस ओलंपस बी, आरबीपीएल-एसईजेड, ठाणे में कैफेटेरिया स्थापित करने के लिए मेसर्स टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के प्रस्ताव को स्थगित कर दिया था क्योंकि उस स्थान के लिए अग्नि एनओसी विशिष्ट नहीं थी।

इसके अलावा, समिति ने इकाई को प्रस्ताव फिर से प्रस्तुत करने का निर्देश दिया और विनिर्दिष्ट अधिकारी को सभी अनुपालन के सत्यापन के लिए इकाई के प्रस्ताव की जांच करने का निर्देश दिया।

विनिर्दिष्ट अधिकारी, रोमा-सेज ने दिनांक 28.04.2025 के पत्र के माध्यम से इस कार्यालय को सत्यापन रिपोर्ट प्रस्तुत की है और कहा है कि कैफेटेरिया सुविधा के नियमितीकरण के लिए टीसीएस द्वारा निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किए गए हैं।

सभी दस्तावेजों का सत्यापन किया गया है और उन्हें सही पाया गया है:

1. अग्नि एनओसी (प्रथम तल और द्वितीय तल)
2. व्यापार लाइसेंस (प्रथम तल और द्वितीय तल)
3. यूनिट में स्थापित वस्तुओं की सूची जो शुल्क के भुगतान पर खरीदी गई थी
4. उन वस्तुओं की सूची जो शुल्क के लाभ के साथ खरीदी गई थी (एओ और मूल्यांकक द्वारा माल की जांच के बाद यूनिट को कार्यालय पत्र एफ. सं.एसईजेड1-15/6/2024-कस्टम-सीपूज/मुंबई दिनांक 21.08.2024 के माध्यम से शुल्क का भुगतान करने के लिए कहा गया था। यूनिट से शुल्क वसूल किया गया है (शुल्क का भुगतान प्रमाण और ब्याज चालान)
5. कैंटीन सेवा समझौता दिनांक 31.03.2026 तक वैध

The Minutes of the 17th Meeting held on 24.03.2025 were confirmed with consensus.

Agenda Item No 02 :

Application of M/s. **Tata Consultancy Services Ltd.** for permission to setting up of Cafeteria in 1st and 2nd floors, Olympus B, Roma Builders Pvt. Ltd. –SEZ, Off, Ghodbunder Road, Village Kavesar, Thane, Maharashtra- 400 607.

(Original LOA No. SEEPZ-SEZ/NEW-SEZ/ROMA-TCS/01/2019-20/04378, Dated: 02.03.2020)

The unit had submitted application dated 26.07.2022 and 16.01.2023 for permission to setting up of Cafeteria at 1st and 2nd floor, Olympus B, Roma Builders Pvt. Ltd. –SEZ, Off, Ghodbunder Road, Village Kavesar, Thane, Maharashtra- 400 607.

The Approval Committee Meeting held on 28th April 2023. The Committee had deferred the proposal of M/s. Tata Consultancy Services for setting up Cafeteria at TCS Olympus B, RBPL-SEZ, Thane in accordance to the provision of Rule 11(5) of SEZ Rules as the Fire NOC for the place was not specific.

Further, Committee also directed the unit to re-submit the proposal and directed to Specified Officer to scrutinize the proposal of the unit for verification of all compliance.

The Specified Officer, ROMA-SEZ has submitted verification report vide letter dated 28.04.2025 to this office and stated that following documents have been submitted by TCS for the regularization of Cafeteria Facility.

All the documents have been verified and found to be in order:

1. Fire NOC (First Floor and Second Floor)
2. Trade License (First Floor and Second Floor)
3. List of Items installed in the Unit which were procured on payment of duty
4. List containing items which were procured with benefit of Duty (After examination of goods by AO and Appraiser unit was asked to pay duty vide office letter F. No.SEZ1-15/6/2024-CUSTOM-SEEPZ/Mumbai dated 21.08.2024. Duty has been recovered from unit (Payment proof of Duty surrendered and interest challan)
5. Canteen Service Agreement Valid till dated 31.03.2026

निर्णय:- विचार-विमर्श के बाद, समिति ने एसईजेड नियम, 2006 के नियम 11(5) और दिनांक 11.06.2019 के निर्देश संख्या 95 के पैरा 3 के प्रावधानों के तहत कैफेटेरिया स्थापित करने के लिए मेसर्स टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। विवरण निम्नानुसार हैं:

| Area (in Sq. Ft.) | Floor | Seating Capacity |
|----------------------|-----------------------|---------------------|
| 15,228 Sq. Ft. | 1 st Floor | 690 |
| 28,876 Sq. Ft. | 2 nd Floor | 1350 |

अध्यक्ष को धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक समाप्त हुई।

Decision :- After deliberations, the Committee **approved** the proposal of **M/s. Tata Consultancy Services Ltd.** to setting up of Cafeteria under the provisions of Rule 11(5) of SEZ Rules, 2006 and Para 3 of Instruction No. 95 dated 11.06.2019. Details are as under:

| Area (in Sq. Ft.) | Floor | Seating Capacity |
|----------------------|-----------------------|---------------------|
| 15,228 Sq. Ft. | 1 st Floor | 690 |
| 28,876 Sq. Ft. | 2 nd Floor | 1350 |

Meeting concluded with a vote of thanks to the Chair.

(ज्ञानेश्वर भा. पाटील, आईएस)
अध्यक्ष-सह-विकास आयुक्त,
सीपज़-सेज़